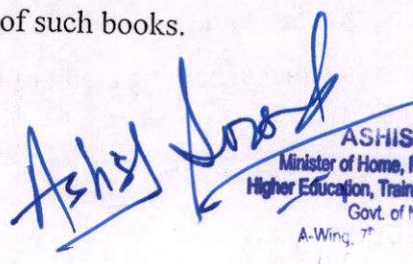
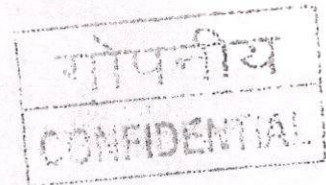


Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Delhi Urban Shelter Improvement Board for the year ended 31 March 2012.

We have audited the attached Balance Sheet of Delhi Urban Shelter Improvement Board (Board) as on 31 March 2012 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19 (3) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers, and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 24 (3) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Act). These financial statements are the responsibility of the Board's Management and include the accounts of divisions of the Board. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- 2 This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported separately through Inspection Reports/CAG's Audit Reports.
- 3 We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i. We were **not provided all the information and explanations as stated in Para A**, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report **have not been prepared** conforming to the Uniform Format of Accounts in consultation with CAG but no information about adoption of same by the State Government under Section 24 of the Act has been furnished to audit.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records **have not been maintained** by the Board as required by Uniform Format of Accounts, in so far as it appears from our examination of such books.


ASHISH SOOD
Minister of Home, Power, UD, Education,
Higher Education, Training & Technical Education,
Govt. of NCT of Delhi
A-Wing, 7th Floor, Secretariat
of



iv. We further report that:

A. Information/records not produced to audit.

Following information or records were not produced to Audit. In the absence of which, the figures appearing in the accounts could not be vouched in audit. The consequential impact thereof, if any, on the accounts could not be ascertained:

1. The Board came into existence on 1 July, 2010, with enactment of the Act. The Act was passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 1 April, 2010 and it came into force w.e.f. 01 July 2010. The Slum & JJ Department, which was earlier part of MCD, was transferred to the Board with all its assets and liabilities. The Board prepared its first financial statements in August 2022 for the period 1 July 2010 to 31 March 2011. The closing balances, as on 30 June 2010, were taken as opening balances as on 01 July 2010. No records/documents and details in respect of the same were provided to audit, in absence of which, the financial impact of the same on financial statements for the year 2011-12 could not be ascertained.
2. As per Schedule 2 for Grant in Aid (GIA), the Utilisation of GIA (i.e. expenditure incurred) has been bifurcated into Capital expenditure (₹ 56.20 crore) and Revenue expenditure (₹ 58.73 crore) during 2011-12. However, no sanction orders, for grants received during 2011-12, were made available to Audit and the utilisation certificates for GIA, provided to Audit, did not reflect any bifurcation of Capital and Revenue Expenditure. Further, reconciliation of GIA had not been made with Pay and Accounts office of GNCTD. Note no. 5 of Significant Accounting policies and Notes to Accounts disclosed the proportion of total grants receipts and grants expenditure transferred to capital and revenue account, however, no documents in support of the said note were provided to Audit.
3. As per financial Statements of the Board for the year 2011-12, there was opening balance of ₹ 45.70 crore as on 1 April 2011 (including opening balance of ₹ 2.43 crore as on 1 July 2010 for which no records were provided) and an amount of ₹ 460.08 crore was received from Government during the year under various schemes. However, the sanction orders for the same were not provided.
4. The financial statement reflected addition of GIA of ₹ 2.50 crore and ₹ 0.10 crore towards Development work under Trans Yamuna Development Board and Development upgradation of Slum and JJ cluster & informal shelter respectively, however, statement of GIA received from the Board did not reflect the same as received during 2011-12. Besides, Utilization Certificate for the same were also not provided. In the absence of any sanction order, UCs and Bank statement showing credit of GIA in account, audit could not verify the

receipt of GIAs. The corresponding assets head could not be identified in the absence of details.

5. As per information provided to Audit with regard to GIA for construction of houses under JNNURM scheme, expenditure of ₹ 19.85 crore (₹ 17.61 crore by EE-C3, ₹ 0.19 crore by EE-C11 and ₹ 2.05 crore by EE-C1) was incurred by Board during 2011-12, however, the Balance Sheet and Utilisation Certificate reflected expenditure of ₹ 39.31 crore. As such, there was difference of ₹ 19.46 crore in utilization of GIA fund for which no reasons were furnished.
6. The closing balance of Grants-in-Aid as on 31 March 2012 was shown as ₹ 390.85 crore. However, the Board did not provide the details of corresponding assets.
7. As per the Uniform format of accounts, with regard to GIA/ Earmarked Funds under Schedule 3, separate funds are to be created/ shown for each plan fund received from Central/State Government so that income received from investments made on account of funds could be identified and added in the respective fund.

The Board did not furnish the details of bank accounts in which the funds were parked. Due to non-furnishing of details, Audit could not verify whether separate bank accounts (Fund wise) were maintained by Board and whether the interest earned from each of the fund was identifiable for adding into respective fund.

8. The Board has shown following Designated/Earmarked funds of ₹ 81.03 crore as on 31 March 2012:-

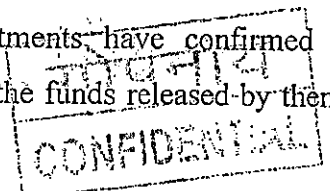
(₹ in crore)				
Earmarked/ Endowment Funds	Opening Balance	Addition during the year	Utilization / expenditu re	Net closing balance as on 31.3.2012
GPF Payable	66.92	34.21	20.10	81.03
NPS employees contribution				
Interest on GPF				
Benevolent Fund				
GIS Fund				
Pension Fund				
GPF Deposit Link Insurance	66.92	34.21	20.10	81.03
Total (after netting of negative balances in various funds)				

The Board did not provide files/records in respect of Opening balances, Additions made during the year and Utilisation/expenditure thereof during the year 2011-12.

Audit, further, observed that Benevolent Fund, GIS fund, Pension fund, GPF Deposit linked insurance fund reflected negative closing balances. Reasons for negative balances in these funds were not furnished to Audit.

9. Against the Designated/Earmarked fund of ₹ 81.03 crore as on 31.3.2012, the Board showed corresponding assets amounting to ₹ 55.14 crore (₹ 54.01 crore in investments under Schedule 9 and ₹ 1.13 crore in Cash and Bank Balance under Schedule 11) only in the financial statements. It did not provide the details for the remaining corresponding assets of ₹ 25.89 crore.
10. No details and records in respect of Unsecured Loans from JJ Wing of ₹ 21.32 crore as on 31 March 2012 (with the same amount being shown as outstanding as on 31 March 2011 and including opening balance of ₹ 18.98 crore as on 1 July 2010) were furnished to audit. Further, liability of interest/penal interest, if any, payable by the Board could not be ascertained in absence of records.
11. Details and records for the Loans of ₹ 21.43 crore from GNCTD as on 31 March 2012 (with the same amount being shown as outstanding loan as on 30 June 2010) were not provided to audit. Further, liability of interest/penal interest, if any, payable by the Board could not be ascertained in absence of records.
12. The Other Liabilities includes ₹ 4.10 crore payable on account of Advances towards Licence Fees (YAP) and Registration Money as on 31 March 2012 (the same amount being shown as payable as on 30 June 2010 and 31 March 2011) for which no party wise/age wise details had been provided to audit. Further, the Board has also not disclosed the fact regarding non-payment of these pending advances and reasons thereof in the accounts.
13. The Deposits received includes ₹ 3.45 crore being amount payable on account of deposits received towards various security deposits as on 31 March 2012. No party wise/age wise details were provided to audit. Further, the Board has also not disclosed the fact regarding non-payment of these pending deposits and reasons thereof in the accounts.
14. The Deposit Works includes amount of ₹ 154.46 crore being funds provided from/by MP Fund, MLA Fund and for Works on behalf of DDA, MOW, MTNL, other departments, land owning agencies, etc. as on 31 March 2012. This included negative balances of ₹ 33.60 crore. It was noted that an amount of ₹ 123.49 crore stood as opening balance as on 01 July 2010 (including negative balances of ₹ 27.10 crore). The Board failed to provide work wise, party wise and age wise details of opening balances, sanction orders for additions during 2011-12 and utilisation in respect of these Deposit Works. Further inclusion of negative balances in Deposit works liabilities show that the Board has incurred expenditure over and above the funds received from Agencies/ Departments. However, the Board did not provide

any records/documents/files to show that Agencies/Departments have confirmed and assured to reimburse/pay excess expenditure over and above the funds released by them to the Board.



15. The Recoveries Payable (₹ 0.34 crore) is the amount of recoveries payable towards House Rent Recovery, GPF, GIS, Other Suspense, DDA Medical Scheme etc. as on 31 March 2012 for which no party wise/age wise details had been provided to audit. Further, the Board has also not disclosed the facts regarding non-payment of these pending recoveries and reasons thereof.
16. Details of assets created out of loan funds and the details of borrowing cost directly attributable to acquisition/ construction/ production of fixed assets not furnished.
17. The Board had capitalised ₹ 57.75 crore as addition to fixed assets and charged depreciation on the same for 12 months without taking into consideration the date of completion of work/ put to use for intended purpose. Audit called for the records of Fixed Assets, including completion certificates/ put to use certificates in respect of capitalisation of assets created during the year 2011-12, however the same were not provided to audit.
18. The fixed assets worth ₹ 246.05 crore (WDV) were shown as opening balance as on 1 July 2010 and ₹ 408.61 crore as on 31 March 2012. Details of assets condemned/scrapped and disposed off after 30 June 2010, were not provided to Audit.
19. The Land Records Register maintained for recording all the land parcels, cost of land, details of title of land, encroachments on DUSIB land etc., and list of all land/properties owned by the Board from time to time and property wise details of land under encroachment with value of encroached land were not produced to Audit. Further, in the absence of records, Audit could not verify the correctness of additions, of ₹ 5.32 lakh, made in land value during the year 2011-12.
20. The Investment from Earmarked /Endowment funds includes fixed deposits of GP Fund of ₹ 48.60 crore (Slum - ₹ 47.10 crore and JJ -1.50 crore). However, copy of FDRs or any other documents to cross verify the amount w.r.t. investment register not provided to audit.
21. The Investment from Earmarked /Endowment funds includes accrued interest on fixed deposits of GP Fund amounting to ₹ 5.42 crore (Slum - ₹ 5.39 crore and JJ - 0.03 crore). However no supporting documents to show whether TDS was being deducted by the bank on accrued interest provided to audit.
22. The Investment Others includes FDRs in respect of Non Plan and Plan amounting to ₹ 94.50 crore (Slum - ₹ 85.00 crore and JJ - ₹ 9.50 crore) and ₹ 380.00 crore respectively. The Board did not provide any copy of FDRs or other documents to cross verify the amount w.r.t. investment register.

23. The Investment Others also includes accrued interest on fixed deposits of Non Plan Investments of ₹ 4.37 crore (Slum - ₹ 4.14 crore and JJ - ₹ 0.23 crore). However, no supporting documents to show whether TDS had been deducted by bank on accrued interest were provided.
24. The amount of ₹ 35.71 crore (Slum - ₹ 34.71 crore and JJ - ₹ 0.10 crore) as on 31.3.2012 as well as on 1 July 2010 booked as Current Assets (embezzlement) in accounts. The Board failed to provide details of (i) Amount of transactions on which these adjustment entries were passed (ii) Names of the parties (iii) Date of transactions in respect of amount shown as embezzlement.
- Audit noticed that on 27 October 2016, the Board filed a case in Delhi High Court against Board employees for embezzlement of ₹ 19.38 crore (after netting of ₹ 0.06 crore recovered from employee out of total embezzlement of ₹ 19.44 crore). The Court case is still pending (March 2023). As such, there was difference of ₹ 16.33 crore in embezzlement figures as shown in Balance Sheet and figures as shown in court case filed by the Board in Delhi High Court. The Board failed to provide justification/reasons and details for difference of ₹ 16.33 crore between the two figures. The Board needs to investigate the matter of difference of ₹ 16.33 crore in embezzlement figures as shown in Balance Sheet and figures as shown in court case filed in Delhi High Court as to why the amount was increased to ₹ 35.71 crore from ₹ 19.44 crore or otherwise why court case was filed by the Board for ₹ 19.44 crore only.
25. As on 31 March 2012, cash in hand and bank balance was ₹ 56.68 crore (Slum - ₹ 52.05 crore and JJ - ₹ 4.63 crore). There were total 21 accounting Divisions/Sections in the Board during the year 2011-12 (17 Divisions and 4 Sections). The Board failed to provide details of all the bank accounts maintained for the year 2011-12 with related records along with bank reconciliation statements (BRS).
26. GPF Section and 11 Divisions of the Board provided details of 12 bank accounts along with their BRS in respect of bank balance of ₹ 7.97 crore. The BRS reflected unreconciled amount of ₹ 1,58,274.50 for which no details and documents were available. Further, O/o Executive Engineer, Division CD 10 did not provide the details of 0.21 crore towards cheques issued but not presented for payment in respect of non-plan funds.
27. Bank reconciliation of 12 bank accounts provided by the Board had details of 'Remittances made but not credited by the bank' as shown below:

Sl. No.	Division/Section	(Amount in ₹)			
		Amount Remitted but not credited by the bank			
		Plan	Non-Plan	Deposit	Total

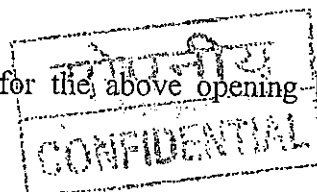
1	EE, C-1	0	4,863,00	0	4,86,300
2	EE, C-2	6,13,152	0	0	6,13,152
3	GPF				5,60,042
Total					16,59,494

However, the Divisions/Section did not provide details and related records of above remittances made but not credited by the bank.

28. The Bank Adjustment of ₹ 6.59 crore (Slum - ₹ 6.04 crore and JJ - ₹ 0.55 crore) is shown in accounts. However, no records were furnished for division wise and year wise and details of (i) amount of transactions on which these adjustment entries were passed (ii) names of the parties (iii) dates of transactions. Audit noted that the same amount was shown under 'Bank Adjustments' as on 31 March 2011 also.
29. The amount of ₹ 0.87 crore (Negative) shown under Personnel Ledger Account could not be verified in audit, due to non-furnishing of division-wise and date wise details of (i) amount of transactions on which these adjustment entries were passed, (ii) names of the parties and (iii) date of transactions.
30. The Hire Purchase installments includes ₹ 43.83 crore being amount receivable on account of Hire Purchase Instalments as on 31 March 2012, for which no party wise, age wise details were provided to Audit. Further, the Board also did not disclose the facts and reasons for non-recovery of these pending Hire Purchase instalments in the accounts.
31. The Ground Rent arrears includes ₹ 0.79 crore (Negative Figure) being amount receivable on account of ground rent arrears as on 31 March 2012 and the same amount was also shown as closing balance as on 30 June 2010 and 31 March 2011 for which no property wise, party wise, age wise details were provided to Audit. Further, Board also did not disclose the reasons for negative figures of Ground Rent Arrears in the accounts.
32. No property wise, party wise, age wise details in respect of Debtors (commercial properties of ₹ 12.41 crore) and Debtors (Residential properties of ₹ 0.10 crore) were provided to Audit. Audit noted that the same amount also stood as closing balance as on 30 June 2010 and 31 March 2011.
33. The Loans, Advances and Other Assets includes ₹ 2.48 crore under the following heads:-

Head of Loans, Advances and Other Assets	Amount (In ₹.)		
	For the period ended as on 31 st March 2012	For the period ended as on 31 st March 2011	For the period ended as on 30 th June 2010
Material Advance	64,23,123	64,23,123	64,23,123
Advance to NGOs	76,47,149	76,47,149	76,47,149
Loan to MCD	1,07,72,071	1,07,72,071	1,07,72,071
Total	2,48,42,343	2,48,42,343	2,48,42,343

No Register/records and party wise, age wise details for the above opening balances provided to audit.



34. The deduction from employees salary includes ₹ 0.22 crore for Advance to Employee towards Conveyance Advance – ₹ 0.02 (Negative Balance), Festival Advance - ₹ 0.06 (Negative Balance), House Building Advance - ₹ 0.13 (Negative Balance) and Misc. Advance (HRA, LTC etc.) – ₹ 0.01 crore as on 31 March 2012 for which no register/record - no employee wise, age wise details were provided to Audit nor reasons for negative figures in employees recoveries were provided.
35. The Board did not provide any property wise and party wise details of Income from Licence fee/Ground Rent/Conversion Charges/Damages, etc. booked in accounts under Fees and Subscription.
36. The Board had booked interest earned in the following heads, however, it did not provide any details/ bank certificates of interest earned to audit:

Slum Department		
S. No.	Particular of head	Amount
1	Interest on Non Plan FDR	2,12,65,479.48
2	Interest on Saving Account	3,29,86,478.56
JJ Department		
3	Interest Income	72,10,023.00
Total		6,14,661,981.04

Interest on saving account - ₹ 4.02 crore

37. During test check of records at O/o Executive Engineer (CD 11) of the Board, it was noticed that Division maintained single bank account for management of funds related to Non-Plan, Plan (having funds of different schemes and grants), JNNURM and Deposit works. It received interest of ₹ 4.18 lakh on Savings Bank Account during the year 2011-12 and booked the same in Non-Plan cash book. Though Division maintained three cash books i.e. for Plan fund, Non Plan fund and Deposit works, which had significant balance for earning interest thereon. interest bifurcation could not be ascertained for each type of GIA Scheme fund, as single bank account was maintained by Division for all the funds.
38. The Board has shown accrued interest of ₹ 1.14 crore in Schedule 16 while the same had been shown as ₹ 4.14 crore in Schedule 10. The Board did not provide bank certificates in support of the amount shown, in the absence of which, audit could not verify the same.
39. The Board did not provide work wise details/ records relating departmental charges recovered for the year 2011-12 and booked as Other Income in accounts. Further Departmental charges are recovered @ 5 per cent on the expenditure incurred on works. Audit test checked the departmental charges by calculating the income @ 5 per cent on the

- मुद्रा
2012
- expenditure incurred out of Grant Funds and Deposit works excluding JNNURM Funds works. Accordingly, the Income for Departmental charges worked out to ₹ 1.21 crore, however, the Board has accounted for departmental charges of ₹ 1.02 crore during 2011-12 resulting in mismatch of accounting of income of ₹ 0.19 crore for which no reasons were furnished by the Board.
40. The Board did not provide any details/records of break-up of ₹ 3.08 crore shown under Other Income (Schedule 17) to verify the same.
 41. Details of Establishment Expenses of Slum as well as JJ Department for salary and wages, other establishment expenses, etc. booked as Expenditure in accounts were not provided.
 42. Details of Administrative Expenses of Slum as well as JJ Department for store & stationery, uniforms, telephones, fuel & misc., electricity, water charges, maintenance expenses, other administrative expenses, etc. booked as expenditure in accounts were not provided.
 43. The depreciation is to be charged on the basis of life/ residual life of the assets. Since the Board has not maintained Fixed Asset Register/ records for recording and maintaining the details of Assets purchased/constructed/completed/created and no class, life of fixed assets has been determined/disclosed, the extent of correctness of depreciation charged and consequent impact thereof was not ascertainable in Audit.
 44. As per uniform format of accounts, the claims against the Entity not acknowledged as debts need to be disclosed in the Notes to Accounts under Contingent liabilities. However, list of legal cases settled or pending as on 31 March 2012 were not furnished to audit.

B. Balance Sheet

Corpus/Capital Funds and Liabilities

Liabilities

Grants-in-aid (Schedule 2)- ₹ 390.85 crore

1. The above includes an amount of ₹ 200.00 crore received from GNCTD (8 December 2011) as Loan to the Board for housing for EWS (Plan) during 2011-12. As per terms of sanction, the loan was provided for a period of 5 years and interest was payable on yearly basis at the rate of 10.5 *per cent*. Further, in case of default in repayment of principal and payment of interest, a penal interest at the rate of 2.75 *per cent* was payable over and above the normal rate of interest. However, the Board has shown the said loan under Grants in Aid as Revolving fund (JNNURM). Incorrect reflection of loan amount under Grant-in-Aid has resulted in understatement of Loan & Borrowings and overstatement of Grant-in-Aid by ₹ 200 crore each.

Further, the Board did not provide a liability of interest payable to GNCTD on this loan @ 10.5 *per cent* p.a. as stipulated in the sanction order for loan amounting to

₹ 6.62 crore for the period from 8 December 2011 to 31 March 2012. This has resulted in understatement of liability towards interest payable on Loans by ₹ 6.62 crore and understatement of Expenditure by ₹ 6.62 crore. Consequently, the Deficit carried to Corpus/Capital Fund was also understated by ₹ 6.62 crore.

2. As per the Uniform format of accounts, Autonomous Bodies have to disclose the accounting policy for Grants-in Aid and it further states that Government Grants/Subsidy are accounted on realization basis.

The Board has neither disclosed any accounting policy regarding accounting treatment for Grants-in-Aid nor disclosed the same in Notes to Accounts as required under Accounting Standard 12 as well as Uniform Format of Accounts. Further, Audit noted that an amount of ₹ 66.74 crore has been shown as addition in Grant in Aid during the year 2010-11, though out of it, ₹ 43.65 crore, was received during 2011-12. Thus, the accounting treatment was not in accordance with the Uniform format of accounts.

Fixed Assets (Schedule-8)

3. It was observed that irrespective of completion of work, the expenditure incurred on works were capitalized as Fixed Assets, as and when payment of Running Account bills was made which was incorrect practice as illustrated below:
The work for Construction of Boundary wall around JJC at Outram line Kingsway Camp was awarded to M/s Y.K. Goel at a cost of ₹ 30.93 lakh in December 2011. Payments of ₹ 9.73 lakh was made for Ist and IInd Running Account Bills till March 2012 and the same were capitalized during 2011-12, though the work was completed in July 2012. Since the work was completed during 2012-13, the same should have been capitalized in 2012-13 and till such time, the same should have been shown under Capital Work in Progress (CWIP). Incorrect capitalization resulted in overstatement of Fixed Assets by ₹ 9.73 lakh and understatement of CWIP to that extent. Impact of depreciation could not be ascertained as class of asset and rate of deprecation charged could not be ascertained.
4. As per the approved format of Financial Statements, the Fixed Assets (Schedule-8), to disclose the opening balance, additions during the year, deletions during the year and closing balance under Gross block of Fixed Assets. Under Depreciation it should disclose opening cumulative depreciation, depreciation during the year, depreciation deleted/adjusted and closing cumulative depreciation. Net Block of Fixed Assets should show the Current year as well as previous balance. It should also disclose Capital Work in Progress opening balance, deletions for amount capitalised during the year and additions for works carried out during the year and closing CWIP. However, the fixed assets (Schedule-

8) is deficient to the extent that it has not disclosed the details of Gross Block and additions/deletions thereto and details of depreciation and additions/deductions thereto during the year in the manner prescribed in the format of accounts.

5. Further as per the Uniform format of accounts, in addition to above disclosure, the Land and Buildings should also disclose Land (Freehold and Leasehold), Buildings (on Freehold Land, on Leasehold Land, Ownership Flats/Premises and Superstructures on Land not belonging to Entity). However, no such disclosure made in the accounts.

Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule 11) – ₹ 174.93 crore

6. Audit scrutinized bank reconciliation statements of 12 bank accounts provided by the Board (11 Divisions and one GPF section) having details of cheque issued but not presented for payment. It was noticed that the accounts included time barred cheques in seven bank accounts as shown below:

(Amount in ₹)		
S.N.	Division/branch in which cheques issued but not presented for payment	Amount of time barred cheques
1	EE (C-2)	15,75,796
2	EE(C-3)	3,000
3	EE (C-7)	9,500
4	EE (C-11)	14,782
5	EE (C-12)	54,000
6	EE (D-4)	47,746
7	Horticulture	14,465
	Net Impact on Cash & Bank balance	17,19,289

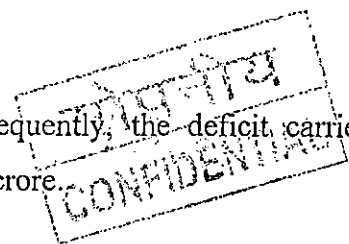
This resulted in understatement of Cash in Hand and Bank Balance and Liabilities (Creditors) by ₹ 17.19 lakh, each.

7. As per Rule 13(iv) of CGA (R&P) Rules (applied by Government of NCT, Delhi), "At the end of each month, the DDO should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated certificate to that effect." The Office of the Executive Engineer, Division CD 11 of the Board, had been maintaining three cash books for Plan fund, Non-Plan fund and Deposit works. Test check of Cash Books revealed that DDO had not verified the cash balances in all the three cash books at the year end. Hence, CGA (R&P) rules had not been followed and cash books were deficient to that extent.

Embezzlement ₹ 35.71 crore

8. The above includes ₹ 35.71 crore being embezzlement amount booked under Current Assets reflecting as the amount was receivable. However, no current assets were in existence, the amount should have been charged to Income and Expenditure Account during 2011-12 instead of showing as Current Assets. This resulted in overstatement of Current Assets and

understatement of Expenditure by ₹ 35.71 crore. Consequently, the deficit carried to Corpus/Capital Fund had also been understated by ₹ 35.71 crore.



C. Income and Expenditure Account

Income

Licence fee + Booking charge from CH & chunks – ₹ 1.22 crore

1. The above does not include ₹ 46,000, being short booking of Licence Fee. The Board had booked Licence fee of ₹ 18,700 against actual amount of ₹ 64,700 received by O/o Executive Engineer C10 Division. This resulted in understatement of Income (Licence fee) and overstatement of Deficit by ₹ 46,000.

Expenditure

Establishment Expenses (Schedule -19) - ₹ 74.08 crore

2. The above does not include ₹ 0.46 crore, being Pay and Allowances of O/o Executive Engineer Division CD 11 for the month of March 2012, which are not booked in accounts. This resulted in understatement of Establishment expenses and Current Liabilities by ₹ 0.46 crore, each. Consequently, deficit for the year understated by ₹ 0.46 crore.

D. Significant Accounting Policies

1. As per the Uniform format of Accounts, depreciation is to be provided on Straight Line Method as per rates specified in Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost of adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets. The Board has, however, provided depreciation of ₹ 19.73 crore on Written Down Value (WDV) of Assets instead of Straight Line Method (SLM) during the year 2011-12. Further, the rates of depreciation charged were not as per depreciation rates specified in Income Tax Act, 1961 resulting in violation of the provisions of the Uniform format.

E. Notes to Accounts

1. As per Accounting Standard 15, the enterprise should actuarially determine and provide the accrued liability in respect of Defined Benefit Plans. Further, the Uniform format of Accounts also prescribes provision of liabilities for employees' benefits on actuarial basis. However, the liability towards employees' benefits on actuarial valuation basis has not been provided in violation of the provisions of the format.
2. The position of pending legal cases had not been disclosed in 'Notes to Accounts' as prescribed in the approved format of accounts. Hence, the Notes to Accounts were deficient to that extent.

3. As per the Uniform Format of Financial Statements, the Notes to Accounts are required to reflect Commitments for Capital Account not provided for, which arise in terms of contracts/arrangements, and amount has to be paid for acquisition/construction of assets as and when they take place. The format also prescribes the manner of presentation of note for capital commitment. Test check of records at O/o Executive Engineer C11 Division, Rana Pratap Bagh of the Board revealed that the Capital Commitments of ₹ 95 lakhs for capital works awarded by it as on 31 March 2012, as required in the Uniform format of accounts, not disclosed in Notes to Accounts.

F. Receipts and Payments Account

1. The Uniform Format of Accounts requires preparation of Receipt and Payment Account as integral part of its Financial Statements. Further, as per the format, the Receipt and Payment Account is required to show the current year as well as previous year figures for receipts and payments during the year. However, the Receipt and Payment Account prepared by the Board for 2011-12 does not reflect the figures for the previous year's i.e. 2010-11. Thus, the Receipts and Payments Account was not prepared as per the Uniform Format of Accounts and is deficient to that extent.

G. General

1. Review of Trial Balance in respect of Slum Department and JJ Department attached with financial statements for the year 2011-12 revealed that there was mismatch in closing balance of ₹ 2144.37 crore depicted in Slum Department Trial Balance and ₹ 4.09 crore depicted in JJ Department Trial balance as detailed below:

Mismatch in closing balances:

Head	Opening balance (a)	Debit (b)	Credit (c)	Closing balance (a+b-c)	(₹ in crore)	
					Closing balance as per accounts	Mismatch in balances
Slum Department	3009.68	3021.87	3021.87	3009.68	5154.05	2144.37
JJ Department	116.07	38.73	38.73	116.07	111.98	4.09

2. During test check of Trial balance provided by O/o Executive Engineer (C-11) Division for 2011-12, it was noticed that in Trial Balance, opening balances in respect of Current Liabilities and Current Assets items were not reflected except for bank balances. As a result, there was difference in opening balance of ₹ 0.39 crore in the Trial balance for the year 2011-12. Thus, in the absence of opening balances in the Trial balance, the correctness of

the Trial balance could not be verified. Whereas other test checked Division i.e. O/o Executive Engineer (C-10) did not provide the Trial balance.

3. Non-compliance of provisions of DUSIB Act:

The Board failed to comply with provisions of the DUSIB Act as detailed below:

- a) As per Section 24(2) of the Act, the Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the balance sheet in such form as the Government may by rules prescribe in consultation with the CAG. The Board had prepared its first accounts for the period 1 July 2010 to 31 March 2011 and for the year 2011-12 in August 2022 and submitted both the accounts in November 2022. Audit noted that there was inordinate delay of more than 10 years in preparation of accounts for the year 2011-12. As such, the provisions of the Act were not complied with.
- b) Section 24 (3) of the Act, stipulates that the accounts of Board shall be subject to audit annually by the CAG and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Board to the CAG. Audit observed that the Board, while preparing the annual accounts for the year 2011-12, had not provided a liability for the audit fee payable for audit of accounts of Board as stipulated in the Act resulting in non-compliance of the Act and understatement of liability and deficit.
- c) Section 24(5) of the Act, further states that the Accounts, as certified by the CAG or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause a copy of the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi. Since the annual accounts for the year ended 31 March 2012 had not been prepared and submitted for audit till November 2022, as such the annual accounts and Separate Audit Report had not been placed before the Legislative Assembly, which was in violation of provisions of the Act.
- d) Section 25 of the Act, stipulates that the Board shall prepare for every year, a report of its activities during that year and submit the report to the Government in such form and on or before such date as may be prescribed by Rules and the Government shall cause a copy of the report to be laid before the Legislative Assembly of Delhi. Audit observed that the Board had not prepared the annual report, as stipulated, for the year 2011-12 till February 2014 when a combined report for the year 2011-12 and 2012-13 was prepared. As such the same could not be forwarded to Government for laying before the Legislative Assembly of Delhi. Thus, the provisions of the Act had not been complied with to that extent.

- v. As important records/information required for forming an audit opinion were not furnished to audit on the matters detailed in the Para A, we are not able to express an opinion on the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account of the Board for the year 2011-12. Further other matters noticed during audit are stated at para B to G and *Annexure-I* to this Report.

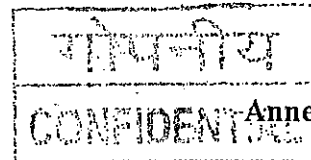
For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



Principal Accountant General (Audit), Delhi

Place: New Delhi

Date: 11.01-2024



1. Adequacy of Internal Audit System

An effective internal audit system should assess overall control environment and prepare an annual audit plan based on identification of key-risk areas which should cover efficiency of operations, protection and efficient use of resources, accuracy and promptness of financial reporting, compliance with the laid down policies and procedures, and various laws and regulations.

No details of sanctioned strength of Internal Audit Wing was provided to Audit. The Board had an Internal Audit Wing with the only three men-in-position during 2011-12 (one Accounts Officer, One AAO and one LDC). The Internal Audit Wing did not have an annual audit plan for units to be audited during a year nor Internal audit reports were placed/discussed in the Board meetings.

Further, there was no Audit Committee to assist the Members of the Board in fulfilling its oversight responsibilities by reviewing the financial reports, systems of internal controls regarding finance, accounting and legal compliance.

In view of above and based on our audit observations, the Internal Audit system of the Board was not commensurate with its size and was not operating effectively.

2. Adequacy of Internal Control System

- a) The Board does not have an efficient system of internal control for accuracy and promptness of financial reporting. The financial statements for the year 2011-12 were finalised and approved by the Board in September 2022. The timely preparation and submission of audited accounts of the Board to Delhi Legislative Assembly would have allowed the government better understanding of the state of the affairs of the Board and exercise effective control over the functioning of the Board;
- b) The Board has not taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Board and for preventing and detecting fraud and other irregularities as reflected by Embezzlement of funds of ₹ 35.71 crore, Bank Adjustments of ₹ 6.60 crore and un-reconciled balance of Personal Ledger Account of ₹ 1.10 crore shown under current Assets in the accounts.
- c) The accrual system of accounting was not followed by the Board, which was in violation of accounting principles and approved format of accounts for autonomous bodies.
- d) There was no system developed to check the accounting entries/ records maintained by the divisions. The consolidated accounts of the Board were prepared on the basis of the Monthly accounts, classified registers sent by Divisions.
- e) No Subsidiary Books, Registers for recording various transactions i.e. stores & stock, land, fixed assets, etc. were prepared.
- f) No tally records were prepared for the year 2011-12 by divisions as well as DUSIB Hqrs.

In view of above and based on our audit observations, the Internal Control system of the Board was not commensurate with its size and was not operating effectively.

3. System of physical verification of Fixed Assets

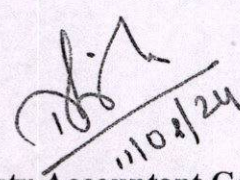
The Board had not maintained proper records relating to land, buildings, plant and machinery, Capital work-in-progress (CWIP) and other fixed assets though the Board switched to double entry system of accounting w.e.f. 01 July 2010. No details were available for mapping of assets with respect to the Grants/Loan from which such assets have been created. Physical verification of fixed assets was also not conducted.

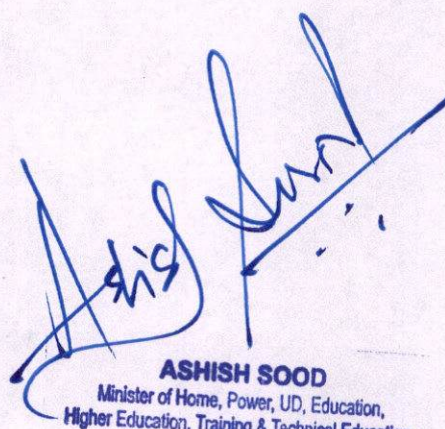
Management intimated in January 2023 that preparation of fixed assets registers is under process for which tendering process has been initiated.

In the absence of Fixed Asset records and physical verification, the existence and treatment of discrepancies (excesses/ /shortages) in fixed assets in accounts could not be verified in Audit.

4. Regularity in payment of statutory dues

The Board did not provide date-wise and party-wise details of statutory dues towards duties and taxes of ₹0.42 crore and related records. In the absence of records, the same, including dues lying unpaid for more than six months, could not be identified or verified in audit. The consequential impact thereof, if any, on the financial statements could also not be ascertained.


Sr. Deputy Accountant General (TSC)


ASHISH SOOD
Minister of Home, Power, UD, Education,
Higher Education, Training & Technical Education,
Govt. of NCT of Delhi
A-Wing, 7th Level, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002

समापन वर्ष 31 मार्च 2012 के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

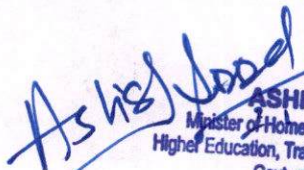
हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के साथ पठित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (अधिनियम) की धारा 24 (3) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2012 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (बोर्ड) की संलग्न तुलन-पत्र और उस तारीख को समापन वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखों का लेखा परीक्षा (ऑडिट) किया है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और इसमें बोर्ड के प्रभागों के लेखे शामिल हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस भिन्न ऑडिट रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप, मानक लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन निरूपण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमनों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर ऑडिट टिप्पणियाँ यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग-अलग रिपोर्ट किया जाता है।
3. भारत में सामान्यतः पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार हमने अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं या नहीं। ऑडिट में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में धनराशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा ऑडिट हमारे विचार हेतु यथोचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - i. हमें पैरा क में बताई गई सभी जानकारी और स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
 - ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखों को सीएजी के परामर्श से लेखों के समान प्रारूप के अनुरूप तैयार ही नहीं किया गया है; बल्कि अधिनियम की धारा 24 के तहत राज्य सरकार द्वारा इसे अपनाने के बारे में किसी भी जानकारी को ऑडिट करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - iii. हमारे विचार में, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है, कि लेखों के समान प्रारूप द्वारा यथा अपेक्षित बोर्ड द्वारा लेखों की उचित पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।
 - iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. ऑडिट हेतु सूचना/अभिलेख को प्रस्तुत नहीं किया गया

निम्नलिखित जानकारी या रिकॉर्ड को लेखा परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था; जिसके अभाव में लेखों में अंकित आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखों पर इसका परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सका;

1. बोर्ड दिनांक 1 जुलाई, 2010 को अधिनियम के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आया। यह अधिनियम दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित किया गया था तथा यह दिनांक 1 जुलाई, 2010 से लागू हुआ। स्लम और जेजे विभाग, जो पहले एमसीडी का हिस्सा था, को उसकी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था। बोर्ड ने दिनांक 1 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए अगस्त 2022 में अपना प्रथम वित्तीय विवरण तैयार किया। समापन शेष के रूप में दिनांक 30 जून 2010 को तथा दिनांक 01 जुलाई 2010 को प्रारंभिक शेष के रूप में लिया गया। इस संबंध में कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज और विवरण को


ASHISH SOOD
Minister of Home, Power, UD, Education,
Higher Education, Training & Technical Education,
Govt. of NCT of Delhi
A-Wing, 7th Level, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002

- लेखा परीक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था; जिसके अभाव में, वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।
2. सहायता अनुदान (जीआईए) की अनुसूची 2 के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान जीआईए के उपयोग (अर्थात् किया गया व्यय) को पूंजीगत व्यय (56.20 करोड़ रुपये) और राजस्व व्यय (58.73 करोड़ रुपये) में विभाजित किया गया है। हालाँकि, वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदानों के लिए कोई मंजूरी आदेश, लेखा परीक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था और जीआईए के लिए लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूंजी और राजस्व व्यय के किसी भी विभाजन को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। आगे, जीआईए का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ समाधान नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की नोट संख्या 5 और लेखों पर टिप्पणियों ने पूंजी और राजस्व खाते में हस्तांतरित कुल अनुदान प्राप्तियों और अनुदान व्यय के अनुपात का खुलासा किया; तथा, उक्त नोट के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखा परीक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।
 3. वर्ष 2011-12 के लिए बोर्ड के वित्तीय विवरणों के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल 2011 (1 जुलाई 2010 को 2.43 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष धनराशि भी शामिल थी, जिसके लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था) को 45.70 करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि थी तथा विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष के दौरान सरकार से 460.08 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। तथापि, इसके लिए मंजूरी आदेश प्रदान नहीं किए गए थे।
 4. वित्तीय विवरण में क्रमशः ट्रांस यमुना विकास बोर्ड एवं स्लम और जेजे क्लस्टर और अनौपचारिक आश्रय के विकास उन्नयन के अंतर्गत विकास कार्य के प्रति 2.50 करोड़ रुपये और 0.10 करोड़ रुपये के कुल को प्रतिबिंबित करता है। तथापि, बोर्ड से प्राप्त जीआईए का विवरण वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त समान रूप से जीआईए को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। किसी भी स्वीकृति के अभाव में आदेश, यूसी और खाते में जीआईए का क्रेडिट दर्शाने वाला बैंक विवरण, ऑडिट जीआईए की पावति सत्यापित नहीं कर सका। विवरणों के अभाव में संबंधित संपत्ति प्रमुख की पहचान नहीं की जा सकी।
 5. जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए जीआईए के संबंध में लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान, बोर्ड द्वारा 19.85 करोड़ रुपये (ईई-सी3 द्वारा 17.61 करोड़ रुपये, ईई-सी11 द्वारा 0.19 करोड़ रुपये और ईई-सी1 द्वारा 2.05 करोड़ रुपये) का व्यय किया गया था। हालाँकि, तुलन-पत्र और उपयोगिता प्रमाणपत्र में 39.31 करोड़ रुपये का व्यय दर्शाया गया था। इस प्रकार, जीआईए निधि के उपयोग में 19.46 करोड़ रुपये का अंतर था; जिसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया।
 6. दिनांक 31 मार्च 2012 को सहायता अनुदान की अंतिम शेष धनराशि 390.85 करोड़ रुपये दिखाया गया था। तथापि, बोर्ड ने संबंधित परिसंपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।
 7. अनुसूची 3 के तहत जीआईए/निर्धारित निधियों के संबंध में लेखों के समान प्रारूप के अनुसार केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त प्रत्येक योजना निधि के लिए अलग-अलग निधियां सृजित/दर्शायी जानी हैं ताकि निधियों के कारण किए गए निवेश से प्राप्त आय की पहचान कर संबंधित निधि में जोड़ा जा सके। बोर्ड ने उन बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जिनमें धनराशि जमा की गई थी। विवरण प्रस्तुत न करने के कारण, ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या बोर्ड द्वारा अलग-अलग बैंक खाते (निधिवार) बनाए गए थे और क्या प्रत्येक निधि से अर्जित ब्याज संबंधित निधि में जोड़ने हेतु चिन्हित किए गए थे।

8. बोर्ड ने दिनांक 31 मार्च 2012 तक 81.03 करोड़ रुपये की निम्नलिखित नामित/निर्धारित निधि दर्शायी है:-

निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि	आरंभिक शेष धनराशि	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	उपयोग/व्यय	(करोड़ रुपये में) दिनांक 31.3.2012 को शुद्ध समापन शेष धनराशि
जीपीएफ देय	66.92	34.21	20.10	81.03
एनपीएस कर्मचारी योगदान				
जीपीएफ पर ब्याज				
परोपकारी निधि				
जीआईएस निधि				
पेंशन निधि				
जीपीएफ जमा लिंक बीमा	66.92	34.21	20.10	81.03
कुल (विभिन्न निधियों में नकारात्मक शेष धनराशियों को घटाने के पश्चात्)				

बोर्ड ने वर्ष के दौरान आरंभिक शेष धनराशि, किए गए परिवर्धन तथा वर्ष 2011-12 के दौरान उसके उपयोग/व्यय के संबंध में फाइलें/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए।

ऑडिट में आगे पाया गया कि परोपकारी निधि, जीआईएस निधि, पेंशन निधि, जीपीएफ डिपॉजिट लिंक बीमा निधि नकारात्मक समापन शेष धनराशि दर्शाते हैं। इन निधियों में नकारात्मक शेष धनराशि के कारण लेखा परीक्षा करने हेतु को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- दिनांक 31.3.2012 तक 81.03 करोड़ की नामित/निर्धारित निधि के निमित्त, बोर्ड ने केवल वित्तीय विवरणों में 55.14 करोड़ रुपये (अनुसूची 9 के तहत निवेश में 54.01 करोड़ रुपये और अनुसूची 11 के तहत नकद और बैंक शेष धनराशि में 1.13 करोड़ रुपये) की संबंधित परिसंपत्ति धनराशि दर्शायी। इन्होंने 25.89 करोड़ रुपये की शेष संबंधित परिसंपत्ति का विवरण नहीं दिया।
- दिनांक 31 मार्च 2012 तक जेजे विंग से 21.32 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण के संबंध में कोई विवरण और रिकॉर्ड (उसी राशि को दिनांक 31 मार्च 2011 को बकाया के रूप में दिखाया गया था और दिनांक 1 जुलाई 2010 को 18.98 करोड़ रुपये की आरंभिक शेष धनराशि भी शामिल थी) को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड के अभाव में बोर्ड द्वारा देय ब्याज/दंडात्मक ब्याज, यदि कोई है, तो उसका दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- दिनांक 31 मार्च 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से 21.43 करोड़ रुपये के ऋण का विवरण और रिकॉर्ड (दिनांक 30 जून 2010 को उसी राशि को बकाया ऋण के रूप में दिखाया गया था) लेखा परीक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड के अभाव में बोर्ड द्वारा देय ब्याज/दंडात्मक ब्याज, यदि कोई है, तो उसका दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- अन्य देनदारियों में दिनांक 31 मार्च 2012 को लाइसेंस शुल्क (वाईएपी) और पंजीकरण राशि के लिए अग्रिम रूप में देय 4.10 करोड़ रुपये शामिल हैं (वही धनराशि दिनांक 30 जून 2010 और 31 मार्च 2011 तक देय के रूप में दर्शायी जा रही है) जिसके लिए कोई पार्टीवार/आयुवार विवरण लेखा परीक्षा

- करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने लेखों में इन लंबित अग्रिमों के भुगतान न होने और उसके कारणों के संबंध में तथ्य का भी खुलासा नहीं किया है।
13. प्राप्त जमाराशियों में दिनांक 31 मार्च 2012 तक विभिन्न सुरक्षा जमाओं के लिए प्राप्त जमाराशियों के कारण देय राशि 3.45 करोड़ रुपये शामिल है। कोई पार्टीवार/आयुवार विवरण लेखा परीक्षा करने के उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने लेखों में लंबित इन जमा धनराशियों के भुगतान न होने और उसके कारणों के संबंध में तथ्य का भी खुलासा नहीं किया है।
 14. जमा कार्यों में दिनांक 31 मार्च 2012 तक सांसद निधि, विधायक निधि से/द्वारा और डीडीए, एमओडब्ल्यू, एमटीएनएल, अन्य विभागों, भूमिस्वामित्व वाली एजेंसियां, आदि की ओर से कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली 154.46 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इसमें 33.60 करोड़ रुपये की नकारात्मक शेष धनराशि भी शामिल थी। यह नोट किया गया कि दिनांक 01 जुलाई 2010 (27.10 करोड़ रुपये की नकारात्मक शेष धनराशि सहित) को 123.49 करोड़ रुपये की राशि आरंभिक शेष धनराशि के रूप में थी। बोर्ड वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यवार, पार्टीवार और आयुवार आरंभिक शेष धनराशि का विवरण, परिवर्धन के लिए स्वीकृति आदेश और इन जमा कार्यों के संबंध में उपयोग संबंधी कार्यों को उपलब्ध कराने में विफल रहा। आगे, जमा कार्यों की देनदारियों में नकारात्मक शेष धनराशियों के समावेशन से पता चलता है कि बोर्ड ने एजेंसियों/विभागों से प्राप्त धनराशि से ऊपर तथा उससे अधिक व्यय किया है। हालाँकि, बोर्ड ने कोई भी रिकॉर्ड/दस्तावेज/फाइल को उपलब्ध नहीं कराया है जो यह दर्शाती है कि एजेंसियों/विभागों ने पुष्टि की है कि बोर्ड को उनके द्वारा जारी किए गए निधि से ऊपर तथा उससे अधिक अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान करने का आश्वासन दिया है।
 15. देय वसूली (0.34 करोड़ रुपये) दिनांक 31 मार्च 2012 तक हाउस रेंट रिकवरी, जीपीएफ, जीआईएस, अन्य सरपेंस, डीडीए मेडिकल स्कीम आदि के लिए देय वसूली की राशि है; जिसके लिए लेखा परीक्षा करने हेतु कोई पार्टीवार/आयुवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने इन लंबित वसूलियों का भुगतान न करने और उसके कारणों के संबंध में तथ्यों का भी खुलासा नहीं किया है।
 16. ऋण निधि से सृजित परिसंपत्तियों का विवरण और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/उत्पादन से सीधे तौर पर जुड़ी उधार लागत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 17. बोर्ड ने अचल संपत्तियों के अतिरिक्त 57.75 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया था और काम पूरा होने/इच्छित उद्देश्य हेतु उपयोग करने की तारीख पर विचार किए बिना 12 माह के लिए उस पर मूल्यवृद्धि लगाया था। लेखा परीक्षा ने वर्ष 2011-12 के दौरान सृजित परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोग प्रमाण पत्र सहित अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड मांगे, तथापि इन्हें लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था।
 18. दिनांक 1 जुलाई 2010 को 246.05 करोड़ रुपये (डब्ल्यू डी वी) की अचल परिसंपत्तियों को आरंभिक शेष धनराशि के रूप में और दिनांक 31 मार्च 2012 तक 408.61 करोड़ रुपये दिखाया गया था। दिनांक 30 जून 2010 के पश्चात् निंदा/निस्तारित और निपटान की गई परिसंपत्तियों के विवरण लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था।
 19. समस्त भूमि पार्सल, भूमि की लागत, भूमि के स्वामित्व का विवरण, डीयूएसआईबी भूमि पर अतिक्रमण आदि दर्ज करने के लिए भूमि रिकॉर्ड रजिस्टर अनुरक्षित किया जाता है, और समय-समय पर बोर्ड के स्वामित्व वाली समस्त भूमि/संपत्तियों की सूची तथा संपत्तिवार भूमि का विवरण अतिक्रमण भूमि के मूल्य सहित अतिक्रमण के अधीन लेखा परीक्षा करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त, अभिलेखों के अभाव में, लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान भूमि मूल्य में की गई 5.32 लाख रुपये की वृद्धि की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सका।

20. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश में जीपी फंड की 48.60 करोड़ रुपये (स्लम 47.10 करोड़ रुपये और जेजे-1.50 करोड़ रुपये) की सावधि जमा राशि शामिल है। तथापि, राशि के सत्यापन हेतु एफडीआर या किसी अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि से संबंधित निवेश रजिस्टर को लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था।
21. निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश में जीपी फंड की निश्चित जमा राशि 5.42 करोड़ रुपये (स्लम-5.39 करोड़ रुपये और जेजे-0.03 करोड़ रुपये) पर अर्जित ब्याज शामिल है। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कोई सहायक दस्तावेज लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था कि बैंक द्वारा अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटा जा रहा था या नहीं।
22. अन्य निवेश में क्रमशः 94.50 करोड़ रुपये (स्लम-85.00 करोड़ रुपये और जेजे-9.50 करोड़ रुपये) तथा 380.00 करोड़ की रुपये गैर योजना और योजना राशि के संबंध में एफडीआर शामिल हैं। बोर्ड ने निवेश रजिस्टर से संबंधित राशि के सत्यापन के लिए एफडीआर या अन्य दस्तावेजों की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई थी।
23. अन्य निवेश में 4.37 करोड़ रुपये (स्लम-4.14 करोड़ रुपये और जेजे-0.23 करोड़ रुपये) की गैर योजना निवेश की सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज भी शामिल है। तथापि, यह दर्शाने के लिए कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया कि क्या बैंक द्वारा अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटा गया था या नहीं।
24. दिनांक 31.3.2012 के साथ-साथ दिनांक 1 जुलाई 2010 को 35.71 करोड़ रुपये (स्लम-34.71 करोड़ रुपये और जेजे-0.10 करोड़ रुपये) की राशि खातों में चालू परिसंपत्ति (गबन) के रूप में दर्ज की गई। बोर्ड निम्नलिखित विवरणों को उपलब्ध कराने में विफल रहा:-
 - (i) लेन-देन की राशि, जिस पर ये समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की गई थी।
 - (ii) पार्टियों के नाम।
 - (iii) गबन के रूप में दर्शाई गई राशि के संबंध में लेनदेन की तिथि।

ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को बोर्ड ने 19.38 करोड़ रुपये (कुल 19.44 करोड़ रुपये के गबन में से कर्मचारी से 0.06 करोड़ रुपये की निवल वसूली के पश्चात्) के गबन के लिए बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है (मार्च 2023)। इस प्रकार, गबन के आंकड़ों में 16.33 करोड़ रुपये का अंतर था। जैसा कि तुलन-पत्र में और बोर्ड द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अदालती मामले के आंकड़ों में दिखाया गया था। बोर्ड दोनों आंकड़ों के बीच 16.33 करोड़ रुपये के अंतर का औचित्य/कारण और विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा। बोर्ड को तुलन-पत्र में दिखाए गए गबन के आंकड़ों और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कोर्ट केस में दिखाए गए आंकड़ों में 16.33 करोड़ रुपये के अंतर के मामले की जांच करने की आवश्यकता है जैसा कि राशि 19.44 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35.71 करोड़ रुपये क्यों की गई या अन्यथा बोर्ड द्वारा मात्र 19.44 करोड़ रुपये के लिए कोर्ट केस क्यों दर्ज किया गया था।
25. दिनांक 31 मार्च 2012 को नकद और बैंक शेष धनराशि 56.68 करोड़ रुपये (स्लम-52.05 करोड़ रुपये और जेजे-4.63 करोड़ रुपये) थी। वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड में कुल 21 लेखा प्रभाग/अनुभाग (17 प्रभाग और 4 अनुभाग) थे। बोर्ड वर्ष 2011-12 के लिए बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) के साथ संबंधित रिकॉर्ड सहित अनुरक्षित सभी बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा था।
26. बोर्ड के जीपीएफ अनुभाग और 11 प्रभागों ने 7.97 करोड़ रुपये की बैंक शेष धनराशि के संबंध में उनके बीआरएस के साथ 12 बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराया गया। बीआरएस ने 1,58,274.50 रुपये की असमाशोधित राशि दर्शाई थी; जिसके लिए कोई विवरण और दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा,

- कार्यालय कार्यकारी अभियंता, प्रभाग सीडी 10 ने जारी चेक के लिए 0.21 करोड़ रुपये का विवरण उपलब्ध नहीं कराया था और न ही गैर-योजना निधि के संबंध में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था।
27. बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए 12 बैंक खातों के बैंक समाधान में 'बैंक द्वारा किए गए विप्रेषित धन, लेकिन उसके द्वारा जमा नहीं किया गया था', का विवरण था; जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपये में राशि)

क्र०सं०	प्रभाग/अनुभाग	बैंक द्वारा विप्रेषित धनराशि लेकिन जमा नहीं की गई			
		योजना	गैर योजना	जमा	कुल
1	ईई, सी-1	0	4,86,300	0	4,86,300
2	ईई, सी-2	6,13,152	0	0	6,13,152
3	जीपीएफ				5,60,042
कुल					16,59,494

- तथापि, प्रभागों/अनुभाग ने बैंक द्वारा किए गए लेकिन जमा नहीं किए गए उपरोक्त विप्रेषित धनराशि का विवरण और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया।
28. 6.59 करोड़ रुपये (स्लम-6.04 करोड़ रुपये और जेजे-0.55 करोड़ रुपये) का बैंक समायोजन लेखों में दर्शाया गया है। हालाँकि, प्रभागवार और वर्षवार कोई रिकॉर्ड और (i) लेनदेन की राशि जिस पर ये समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की गई थीं। (ii) पार्टियों के नाम। (iii) लेनदेन की तिथियाँ संबंधी विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 31 मार्च 2011 को भी 'बैंक समायोजन' के अंतर्गत इतनी ही राशि दिखाई गई थी।
29. कार्मिक लेजर खाते के अंतर्गत दर्शाई गई 0.87 करोड़ रुपये (नकारात्मक) की राशि को (i) लेनदेन की राशि जिस पर ये समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की गईं, (ii) पार्टियों के नाम और (iii) लेनदेन की तारीख के प्रभागवार और तिथिवार विवरण प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।
30. किराया क्रय किस्तों में दिनांक 31 मार्च 2012 तक किराया क्रय किस्तों के खातों पर प्राप्य राशि 43.83 करोड़ रुपये शामिल है; जिसके लिए कोई पार्टीवार, आयुवार विवरण लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने लेखों में इन लंबित किराया क्रय किस्तों की वसूली न होने के तथ्यों और कारणों का भी खुलासा नहीं किया था।
31. ग्राउंड रेंट बकाया में दिनांक 31 मार्च 2012 तक ग्राउंड रेंट बकाया के कारण प्राप्त होने वाली 0.79 करोड़ रुपये (नकारात्मक आंकड़ा) की राशि शामिल है और वही राशि दिनांक 30 जून 2010 और दिनांक 31 मार्च 2011 को समापन शेष राशि के रूप में भी दिखाई गई थी; जिसके लिए कोई संपत्तिवार, पार्टीवार, आयुवार विवरण लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने लेखों में ग्राउंड रेंट बकाया के नकारात्मक आंकड़ों के कारणों का भी खुलासा नहीं किया था।
32. देनदारों (12.41 करोड़ रुपये की व्यावसायिक संपत्ति) और देनदारों (0.10 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति) के संबंध में कोई संपत्तिवार, पार्टीवार, आयुवार विवरण लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। ऑडिट में पाया गया कि दिनांक 30 जून 2010 और दिनांक 31 मार्च 2011 को यही राशि समापन शेष धनराशि के रूप में भी थी।
33. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित मदों के अंतर्गत 2.48 करोड़ रुपये शामिल हैं:-
- राशि (रुपये में)

ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों के मद	दिनांक 31 मार्च 2012 को समापन अवधि हेतु	दिनांक 31 मार्च 2011 को समापन अवधि हेतु	दिनांक 30 जून 2010 को समापन अवधि हेतु
अग्रिम सामग्री	64,23,123	64,23,123	64,23,123
गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम	76,47,149	76,47,149	76,47,149
एमसीडी को ऋण	1,07,72,071	1,07,72,071	1,07,72,071
कुल	2,48,42,343	2,48,42,343	2,48,42,343

उपरोक्त आरंभिक शेष धनराशि के लिए कोई रजिस्टर/रिकॉर्ड और पार्टीवार, आयुवार लेखा परीक्षा करने हेतु विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

34. कर्मचारियों के वेतन से कटौती में दिनांक 31 मार्च 2012 तक परिवहन संबंधी अग्रिम—रुपये 0.02 (नकारात्क शेष धनराशि), उत्सव संबंधी अग्रिम—रुपये 0.06 (नकारात्क शेष धनराशि), भवन निर्माण संबंधी अग्रिम—रुपये 0.13 (नकारात्क शेष धनराशि) और विविध अग्रिम (एचआरए, एलटीसी इत्यादि)—0.01 करोड़ रुपये के लिए कर्मचारी को अग्रिम 0.22 करोड़ रुपये शामिल हैं; जिसके लिए न तो लेखा परीक्षा हेतु कोई रजिस्टर/रिकॉर्ड—कर्मचारीवार, आयुवार विवरण उपलब्ध कराया गया था और न ही कर्मचारियों की वसूली में नकारात्मक आंकड़ों हेतु कारण उपलब्ध कराए गए थे।
35. बोर्ड ने फीस और सदस्यता के अंतर्गत लेखों में दर्ज लाइसेंस शुल्क/ग्राउंड रेंट/रूपांतरण शुल्क/नुकसान आदि से आय का कोई संपत्ति—वार और पार्टी—वार विवरण उपलब्ध नहीं कराया था।
36. बोर्ड ने अर्जित ब्याज को निम्नलिखित मदों में दर्ज किया था; हालांकि, इन्होंने लेखा परीक्षा करने हेतु अर्जित ब्याज का कोई विवरण/बैंक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया था।

स्लम विभाग		
क्र०सं०	मद का ब्यौरेवार विवरण	धनराशि
1.	गैर योजना एफडीआर पर ब्याज	2,12,65,479.48
2.	बचत खाते पर ब्याज	3,29,86,478.56
जेजे विभाग		
3	ब्याज से होने वाली आय	72,10,023.00
कुल		6,14,661,981.04

बचत खाते पर ब्याज—4.02 करोड़ रुपये

37. बोर्ड के कार्यकारी अभियंता (सीडी 11) कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि उस प्रभाग ने गैर-योजना, योजना (विभिन्न योजनाओं एवं अनुदानों की निधियों सहित), जेएनएनयूआरएम एवं जमा राशि संबंधी कार्यों से संबंधित निधियों के प्रबंधन हेतु एकल बैंक खातों को अनुरक्षित रखा। इन्हें वर्ष 2011-12 के दौरान बचत बैंक खाते पर 4.18 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तथा इसे गैर-योजना रोकड़ बही में दर्ज किया गया। यद्यपि, प्रभाग ने तीन रोकड़ बहियाँ अर्थात् योजना निधि, गैर योजना निधि और जमा राशि संबंधी कार्यों को अनुरक्षित रखा; जिनमें ब्याज अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण शेष धनराशि थी। प्रत्येक प्रकार की जीआईए योजना निधि के लिए ब्याज विभाजन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि समस्त निधियों के लिए प्रभाग द्वारा एकल बैंक खाता अनुरक्षित किया गया था।

38. बोर्ड ने अनुसूची 16 में 1.14 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज दिखाया है, जबकि अनुसूची 10 में इसे 4.14 करोड़ रुपये दिखाया गया है। बोर्ड ने दिखाई गई राशि के समर्थन में बैंक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया था, जिसके अभाव में ऑडिट इसे सत्यापित नहीं कर सका।
39. बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के लिए वसूले गए और लेखों में अन्य आय के रूप में दर्ज किए गए विभागीय प्रभारों से संबंधित कार्यवार विवरण/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए थे। आगे, कार्यों पर किये गये व्यय पर 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार भी वसूला जाता है। लेखा परीक्षा ने जेएनएनयूआरएम निधि कार्यों को छोड़कर अनुदान निधि और जमा राशि संबंधी कार्यों में से किए गए व्यय पर 5 प्रतिशत की दर से आय की गणना कर विभागीय प्रभारों की जांच की। तदनुसार, विभागीय प्रभार के लिए आय 1.21 करोड़ रुपये की गणना की गई। हालांकि, बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के दौरान 1.02 करोड़ रुपये के विभागीय प्रभार का हिसाब लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप 0.19 करोड़ रुपये की आय का लेखांकन बेमेल हो गया; जिसके लिए बोर्ड द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था।
40. बोर्ड ने इसे सत्यापित करने के लिए अन्य आय (अनुसूची 17) के अंतर्गत दिखाए गए 3.08 करोड़ रुपये
41. लेखों में व्यय के रूप में दर्ज वेतन और मजदूरी, अन्य स्थापना व्यय आदि हेतु स्लम के साथ-साथ जेजे विभाग के स्थापना व्ययों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
42. लेखों में व्यय के रूप में दर्ज स्टोर और स्टेशनरी, वर्दी, टेलीफोन, ईंधन और विविध, बिजली, जल-प्रभार, अनुरक्षण व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि हेतु स्लम के साथ-साथ जेजे विभाग के प्रशासनिक व्ययों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
43. मूल्यहास परिसंपत्ति के जीवन/अवशिष्ट के अलग-अलग आंकड़ों का कोई विवरण/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया था। जीवन के आधार पर लिया जाना है। चूंकि, बोर्ड ने खरीदी/निर्मित/पूर्ण/सृजित परिसंपत्तियों के विवरणों को रिकॉर्ड करने और बनाए रखने के लिए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर/रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं रखा है और अचल संपत्तियों के किसी वर्ग, जीवन का निर्धारित/खुलासा नहीं किया गया है; इसलिए लेखा परीक्षा में लगाए गए मूल्यहास की शुद्धता की सीमा और उसके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।
44. लेखों के समान प्रारूप के अनुसार, संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसे आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, दिनांक 31 मार्च 2012 तक निपटाए गए या लंबित कानूनी मामलों की सूची लेखा परीक्षा करने हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी।

ख. तुलन-पत्र

कॉर्पस/पूँजी निधि और देनदारियां

देनदारियां

सहायता अनुदान (अनुसूची 2)-390.85 करोड़ रुपये

1. उपरोक्त में वर्ष 2011-12 के दौरान ईडब्ल्यूएस (योजना) के लिए आवास हेतु बोर्ड को ऋण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दिनांक 8 दिसंबर 2011) से प्राप्त 200.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। स्वीकृति के निबंधनों के अनुसार, ऋण 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया था और वार्षिक आधार पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था। इसके अलावा, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान में चूक के मामले में, सामान्य ब्याज दर से ऊपर तथा उससे अधिक 2.75 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज देय था। तथापि, बोर्ड ने उक्त ऋण को अनुदान सहायता के तहत रिवॉल्विंग फंड (जेएनएनयूआरएम) के रूप में दिखाया है। अनुदान सहायता के अंतर्गत ऋण राशि के गलत प्रतिबिंबन के परिणामस्वरूप ऋण एवं उधार को प्रति 200 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया है तथा सहायता अनुदान को से अधिक दिखाया गया है। आगे, बोर्ड ने दिनांक 8 दिसंबर 2011 से दिनांक 31 मार्च 2012

की अवधि के लिए 6.62 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए मंजूरी आदेश में यथानिर्धारित 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से इस ऋण पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को देय ब्याज की देनदारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके परिणामस्वरूप ऋण पर देय ब्याज के प्रति देयता को 6.62 करोड़ रुपये और व्यय को 6.62 करोड़ रुपये कम दिखाया गया है। अतः कॉर्पस/पूंजी निधि में किया गया घाटा भी 6.62 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

2. लेखों के समान प्रारूप के अनुसार, स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता के लिए लेखांकन नीति का खुलासा करना होगा और इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी अनुदान/सब्सिडी का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है।

बोर्ड ने न तो सहायता अनुदान के लिए लेखांकन निरूपण के संबंध में किसी लेखांकन नीति का खुलासा किया है और न ही लेखांकन मानक 12 के साथ-साथ लेखों के समान प्रारूप के तहत यथा आवश्यक लेखों पर टिप्पणियों में इसका खुलासा किया है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान सहायता अनुदान में 66.74 करोड़ रुपये की राशि को अतिरिक्त के रूप में दिखाया गया है, हालांकि इसमें से 43.65 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, लेखांकन निरूपण लेखों के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं था।

अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-8)

3. यह देखा गया कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद, जब कभी चालू खातों के बिलों का भुगतान किया जाता था, तो कार्य पर किए गए व्यय को अचल परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता था, जो कि गलत पद्धति थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
आउट्राम लाइन किंग्सवे कैंप में जेजेसी के चारों ओर सीमा दीवार के निर्माण का कार्य मेसर्स वाई0के0 गोयल को दिसंबर 2011 में 30.93 लाख रुपये की लागत पर सौंपा गया था। मार्च 2012 तक प्रथम और द्वितीय चालू खाता बिलों के लिए 9.73 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और इसे वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीकृत किया गया था, हालांकि यह कार्य जुलाई 2012 में पूर्ण हो गया था। चूंकि, कार्य वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्ण हो गया था, फिर भी उसे वर्ष 2012-13 में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था और उस समय तक, उसे पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। गलत पूंजीकरण के परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को 9.73 लाख रुपये से अधिक बताया गया और सीडब्ल्यूआईपी को उस सीमा तक कम बताया गया। मूल्यहास के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि परिसंपत्ति की श्रेणी और लगाए गए मूल्यहास की दर का पता नहीं लगाया जा सका था।
4. वित्तीय विवरणों के अनुमोदित प्रारूप, अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची-8) के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के तहत आरंभिक शेष धनराशि, वर्ष के दौरान परिवर्धन, वर्ष के दौरान विलोपन और समापन शेष धनराशि का खुलासा करना है। मूल्यहास के अंतर्गत इसे आरंभिक संचयी मूल्यहास, वर्ष के दौरान मूल्यहास, हटाए गए/समायोजित मूल्यहास और समापन संचयी मूल्यहास का खुलासा करना चाहिए। अचल परिसंपत्तियों के शुद्ध ब्लॉक में चालू वर्ष के साथ-साथ पिछली शेष धनराशि भी दर्शाना चाहिए। इसमें प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य की आरंभिक शेष धनराशि, वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशि का विलोपन और वर्ष के दौरान किए गए कार्य और समापन सीडब्ल्यूआईपी हेतु परिवर्धन के बारे में भी खुलासा करना चाहिए। तथापि, अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-8) इस हद तक अपर्याप्त हैं कि इसने लेखों के प्रारूप में निर्धारित तरीके से वर्ष के दौरान सकल ब्लॉक और उसमें जोड़े गए/हटाए गए विवरणों और मूल्यहास और उसमें जोड़े गए/कटौती के विवरणों का खुलासा नहीं किया है।
5. आगे, लेखों के समान प्रारूप के अनुसार, उपरोक्त प्रकटीकरण के अलावा, भूमि और भवनों को भूमि (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड), भवन (फ्रीहोल्ड भूमि पर, लीजहोल्ड भूमि पर, स्वामित्व फ्लैट/परिसर तथा

भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर जो संस्था से संबंधित नहीं है) का भी खुलासा करना चाहिए। हालाँकि, लेखों में ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11)—174.93 करोड़ रुपये

6. ऑडिट ने बोर्ड (11 प्रभाग और एक जीपीएफ अनुभाग) द्वारा उपलब्ध कराए गए 12 बैंक खातों के बैंक समाधान विवरण की जांच की, जिसमें जारी किए गए चेक के विवरण थे, लेकिन ये भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह देखा गया कि खातों में सात बैंक खातों में कालबाधित चेक शामिल थे; जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

(राशि रुपये में)

क्र०सं०	वह प्रभाग/शाखा जिसमें चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए	कालबाधित चेकों की राशि
1	ईई (सी-2)	15,75,796
2	ईई(सी-3)	3,000
3	ईई (सी-7)	9,500
4	ईई (सी-11)	14,782
5	ईई (सी-12)	54,000
6	ईई (डी-4)	47,746
7	बागवानी	14,465
	नकदी एवं बैंक शेष पर शुद्ध प्रभाव	17,19,289

इसके परिणामस्वरूप नकद और बैंक शेष धनराशि तथा देनदारियां (लेनदार) प्रत्येक में 17.19 लाख रुपये की कमी बताई गई।

7. सीजीए (आर एवं पी) नियमावली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू) के नियम 13 (iv) के अनुसार, "प्रत्येक माह के अंत में, डीडीओ को नकदी बही में नकदी शेष को सत्यापित करना चाहिए और इस आशय के प्रमाण पत्र से संबंधित एक हस्ताक्षरित तथा दिनांकित रिकॉर्ड रखना चाहिए।" बोर्ड के कार्यकारी अभियंता, प्रभाग सीडी 11 का कार्यालय, योजना निधि, गैर-योजना निधि और जमा राशि संबंधी कार्यों के लिए तीन नकदी बहियों को अनुरक्षित रखता था। नकद बहियों की नमूना जाँच से प्रदर्शित होता है कि डीडीओ ने वर्ष के अंत में तीनों नकद बहियों में नकद शेष धनराशियों का सत्यापन नहीं किया था। इसलिए, सीजीए (आर एवं पी) नियमों का पालन नहीं किया गया था और नकद बहियाँ उस सीमा तक कम थी।

35.71 करोड़ का गबन

8. उपरोक्त में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज 35.71 करोड़ रुपये की गबन राशि शामिल है; जो यह दर्शाती है कि राशि प्राप्य थी। हालाँकि, कोई भी मौजूदा परिसंपत्ति अस्तित्व में नहीं थी; राशि को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाने के बजाय वर्ष 2011-12 के दौरान आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 35.71 करोड़ रुपये से चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया तथा व्यय को कम बताया गया था। नतीजतन, कॉर्पस/पूँजीगत निधि में किए गए घाटे को भी 35.71 करोड़ रुपये से कम बताया गया था।

ग. आय एवं व्यय खाता

आय

सीएच और चंक्स से लाइसेंस शुल्क + बुकिंग प्रभार -1.22 करोड़ रुपये

1. लाइसेंस शुल्क की कम बुकिंग होने के कारण उपरोक्त में 46,000 रुपये शामिल नहीं है। बोर्ड ने कार्यकारी अभियंता, सी10 प्रभाग के कार्यालय को प्राप्त 64,700 रुपये की वास्तविक राशि के निमित्त 18,700 रुपये के लाइसेंस शुल्क को दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप 46,000 रुपये से आय (लाइसेंस शुल्क) कम बताई गई और घाटा अधिक बताया गया।

व्यय

स्थापना व्यय (अनुसूची-19)-74.08 करोड़ रुपये

2. उपरोक्त में मार्च 2012 के माह के लिए कार्यकारी अभियंता, प्रभाग सीडी 11 के कार्यालय के वेतन और भत्ते के रूप में 0.46 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो लेखों में दर्ज नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय और चालू देनदारियों में से प्रत्येक को 0.46 करोड़ रुपये से कम बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए घाटा 0.46 करोड़ रुपये कम बताया गया।

घ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखों के समान प्रारूप के अनुसार, मूल्यह्रास अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले समायोजन की लागत पर मूल्यह्रास को छोड़कर, आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रदान किया जाना है; जिसका परिशोधन संबंधित परिसंपत्तियों के अवशिष्ट जीवन पर किया जाता है। हालाँकि, बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के दौरान सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के बजाय परिसंपत्तियों के लिखित डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) पर 19.73 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, लगाए गए मूल्यह्रास की दरें आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट मूल्यह्रास दरों के अनुसार नहीं थीं; जिसके परिणामस्वरूप समान प्रारूप के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

ङ लेखों पर टिप्पणियां

1. लेखांकन मानक 15 के अनुसार, उद्यम को परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में अर्जित दायित्व को बीमांकिक रूप से निर्धारित और उपलब्ध कराना चाहिए। आगे, लेखों का समान प्रारूप बीमांकिक आधार पर कर्मचारियों के लाभों के लिए देनदारियों का प्रावधान भी निर्धारित करता है। तथापि, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के लाभों के प्रति दायित्व को प्रारूप के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. लेखों के अनुमोदित प्रारूप में यथा निर्धारित 'लेखों पर टिप्पणियों' में लंबित कानूनी मामलों की स्थिति का खुलासा नहीं किया गया था। इसलिए, लेखों पर टिप्पणियाँ उस सीमा तक कम थीं।
3. वित्तीय विवरणों के समान प्रारूप के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों में पूंजी खाते के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, जो अनुबंध/व्यवस्था के निबंधनों में उत्पन्न होते हैं, और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण हेतु राशि का भुगतान करना पड़ता है और जब कभी उसकी आवश्यकता होती है; तो प्रारूप पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट प्रस्तुत करने का तरीका भी निर्धारित करता है। बोर्ड के कार्यकारी अभियंता, सी11 प्रभाग, राणा प्रताप बाग के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि दिनांक 31 मार्च 2012 को दिए गए पूंजीगत कार्यों के लिए 95 लाख रुपये की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं, जैसा कि लेखों के समान प्रारूप में यथा आवश्यक लेखों पर टिप्पणियों का खुलासा नहीं किया गया है।

च. रसीद और भुगतान खाता

1. लेखों के समान प्रारूप के लिए अपने वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग के रूप में रसीद और भुगतान खाते की तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, प्रारूप के अनुसार, रसीद और भुगतान खाते को चालू वर्ष के साथ-साथ वर्ष के दौरान प्राप्तियों और भुगतान के पिछले वर्ष के आंकड़ों भी दिखाना अपेक्षित है। हालाँकि, वर्ष 2011-12 के लिए बोर्ड द्वारा तैयार रसीद और भुगतान खाता पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2010-11 हेतु आंकड़ों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस प्रकार, रसीदें और भुगतान खाता लेखों के समान प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं किया गया था और उस सीमा तक इसमें कमी है।

छ. सामान्य

1. वर्ष 2011-12 हेतु वित्तीय विवरण के साथ संलग्न स्लम विभाग और जेजे विभाग के संबंध में ट्रायल बैलेंस की समीक्षा से प्रदर्शित हुआ कि स्लम विभाग ट्रायल बैलेंस में दर्शाए गए 2144.37 करोड़ रुपये के समापन शेष धनराशि और जेजे विभाग के ट्रायल बैलेंस में दर्शाए गए 4.09 करोड़ रुपये की समापन शेष धनराशि बेमेल थी; जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

समापन शेष धनराशि में विसंगति:

(करोड़ रुपये में)

मद	आरंभिक शेष धनराशि (क)	निकाली गई धनराशि (ख)	जमा की गई धनराशि (ग)	समापन शेष धनराशि (क+ख-ग)	खातों के अनुसार समापन शेष धनराशि	शेष धनराशि में विसंगति
स्लम विभाग	3009.68	3021.87	3021.87	3009.68	5154.05	2144.37
जे.जे. विभाग	116.07	38.73	38.73	116.07	111.98	4.09

2. वर्ष 2011-12 के लिए कार्यालय कार्यकारी अभियंता (सी-11) प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रायल बैलेंस की परीक्षण जांच के दौरान, यह देखा गया कि बैंक शेष धनराशि को छोड़कर ट्रायल बैलेंस में, चालू देनदारियों और चालू परिसंपत्तियों के मदों के संबंध में आरंभिक शेष धनराशियों को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011-12 के ट्रायल बैलेंस के आरंभिक शेष धनराशि में 0.39 करोड़ रुपये का अंतर था। इस प्रकार, ट्रायल बैलेंस में आरंभिक शेष धनराशि के अभाव में, ट्रायल बैलेंस की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। जबकि अन्य जांचे गए परीक्षण प्रभाग यानी कार्यकारी अभियंता (सी-10) के कार्यालय ने ट्रायल बैलेंस हेतु उपलब्ध नहीं कराया था।

3. डीयूएसआईबी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना:

बोर्ड डीयूएसआईबी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा; जैसा कि नीचे बताया गया है:

- क) अधिनियम की धारा 24(2) के अनुसार, बोर्ड समुचित लेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और लेखों के वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसमें तुलन-पत्र भी शामिल होगा जैसा कि सरकार सीएजी के परामर्श से नियमों के अनुसार निर्धारित कर सकती है। बोर्ड ने अपना पहला लेखा दिनांक 1 जुलाई 2010 से दिनोंक 31 मार्च 2011 तक और वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए के लिए अगस्त 2022 में तैयार किया था और दोनों लेखों को नवंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया था। ऑडिट में पाया गया कि वर्ष 2011-12 हेतु लेखों की तैयारी में 10 वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी हुई थी। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

- ख) अधिनियम की धारा 24(3) निर्धारित करता है कि बोर्ड के लेखे सीएजी द्वारा वार्षिक रूप से ऑडिट के अधीन होंगे और ऐसे ऑडिट के संबंध में उनके द्वारा किया गया कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा सीएजी को

देय होगा। लेखा परीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय अधिनियम में यथा निर्धारित बोर्ड के लेखों के ऑडिट हेतु देय लेखा परीक्षा शुल्क के लिए देनदारी को उपलब्ध नहीं कराया था; जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का अनुपालन नहीं हुआ और देनदारी और घाटे को कम बताया गया।

- ग) अधिनियम की धारा 24(5) में आगे कहा गया है कि सीएजी इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित लेखों के साथ उस पर ऑडिट रिपोर्ट को वार्षिक रूप से सरकार को भेजा जाएगा और सरकार उसकी एक प्रति दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखेगी। चूंकि समापन वर्ष 31 मार्च 2012 हेतु वार्षिक लेखे नवंबर 2022 तक ऑडिट के लिए तैयार और प्रस्तुत नहीं किए गए थे; इसलिए वार्षिक लेखों और भिन्न ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।
- घ) अधिनियम की धारा 25 निर्धारित करती है कि बोर्ड प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि पर या उस तिथि से पूर्व प्रस्तुत करेगा जो नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है तथा सरकार रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखेगी। ऑडिट में पाया गया कि बोर्ड ने फरवरी 2014 तक वर्ष 2011-12 के लिए यथा निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। जबकि, वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 की संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऐसे में इसे दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के लिए सरकार को प्रेषित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन नहीं किया गया था।
- V. चूंकि ऑडिट राय बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड/जानकारी पैरा क में विस्तृत मामलों पर ऑडिट करने हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी; हम वर्ष 2011-12 के लिए बोर्ड के तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखे और प्राप्तियां तथा भुगतान खाते पर राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऑडिट के दौरान अवलोकित अन्य मामले इस रिपोर्ट के पैरा ख से छ तथा अनुलग्नक-1 में कथित हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11-01-2024

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को समग्र नियंत्रण वातावरण का आकलन करना चाहिए और प्रमुख

जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के आधार पर एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं तथा विभिन्न कानून और विनियमनों के अनुपालन सहित संचालन की दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा और कुशल उपयोग, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता एवं तत्परता को शामिल किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग की स्वीकृत शक्ति का कोई विवरण लेखा परीक्षा करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड में केवल तीन लोगों (एक लेखा अधिकारी, एक सहायक लेखा अधिकारी और एक अवर श्रेणी लिपिक) के पद के साथ एक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग थी। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के पास एक वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा की जाने वाली इकाइयों के लिए कोई वार्षिक लेखा परीक्षा योजना नहीं थी और न ही आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया गया था/चर्चा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों, वित्त, लेखांकन और कानूनी अनुपालन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा करके अपनी निरीक्षण उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में बोर्ड के सदस्यों की सहायता के लिए कोई लेखा परीक्षा समिति नहीं थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपने आकार के अनुरूप नहीं थी और न ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क) बोर्ड के पास वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक कुशल प्रणाली नहीं है। वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरणों को सितंबर 2022 में बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड के लेखा परीक्षा किए गए लेखों को समय पर तैयार करने और दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करने से सरकार को बोर्ड के मामलों की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने तथा बोर्ड के कामकाज पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

ख) बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण हेतु यथोचित और उचित देखभाल नहीं की है, जैसा कि लेखों में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए 35.71 करोड़ रुपये की निधियां, 6.60 करोड़ रुपये के बैंक समायोजन और 1.10 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत बहीखाते का गैर-समाधान शेष धनराशि के गबन से परिलक्षित होता है।

ग) बोर्ड द्वारा लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन नहीं किया गया; जो लेखांकन सिद्धांतों और स्वायत्त निकायों हेतु लेखों के अनुमोदित प्रारूप का उल्लंघन थी।

घ) प्रभाग द्वारा अनुक्षित लेखांकन प्रविष्टियों/अभिलेखों की जांच करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। बोर्ड के समेकित लेखे प्रभागों द्वारा भेजे गए मासिक लेखों, वर्गीकृत रजिस्ट्रों के आधार पर तैयार किये गये थे।

ङ) विभिन्न लेनदेन अर्थात् स्टोर एवं स्टॉक, भूमि, अचल परिसंपत्ति आदि को रिकॉर्ड करने के लिए कोई सहायक पुस्तकें, रजिस्टर तैयार नहीं किए गए थे।

च) प्रभागों के साथ-साथ डीयूएसआईबी मुख्यालय द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए कोई मिलान रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपने आकार के अनुरूप नहीं थी और न ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

बोर्ड ने भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों से संबंधित उचित रिकॉर्ड को अनुरक्षित नहीं किया था; यद्यपि, बोर्ड ने दिनांक 01 जुलाई 2010 से लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर स्विच कर दिया था। अनुदान/ऋण के संबंध में परिसंपत्तियों की मैपिंग के लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं था; जिससे ऐसी परिसंपत्तियां बनाई गई हैं। अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया था।

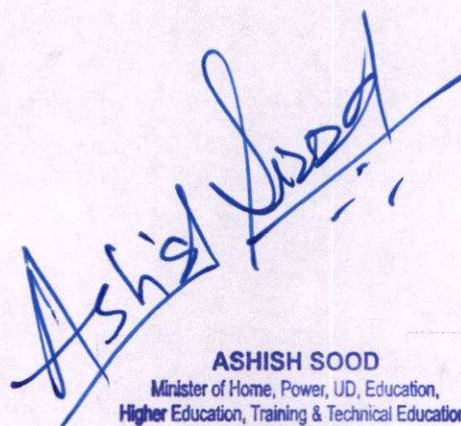
प्रबंधन ने जनवरी 2023 में सूचित किया कि अचल परिसंपत्तियां संबंधी रजिस्ट्रों की तैयारी प्रक्रियाधीन है जिसके लिए निविदा प्रक्रिया को आरंभ किया गया है।

अचल परिसंपत्ति संबंधी रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन के अभाव में, लेखों में अचल परिसंपत्तियों में विसंगतियों (अधिकता/कमी) के अस्तित्व और निरूपण को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

4. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

बोर्ड ने 0.42 करोड़ रुपये के शुल्कों और करों के वैधानिक देयराशियों और संबंधित अभिलेखों का दिनांकवार और पार्टीवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया था। रिकॉर्ड के अभाव में, छह माह से अधिक समय से भुगतान न किए गए देय राशि सहित, ऑडिट में इसकी पहचान या सत्यापन नहीं किया जा सका। वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका भी पता नहीं लगाया जा सका है।

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (टीएससी)



ASHISH SOOD

Minister of Home, Power, UD, Education,
Higher Education, Training & Technical Education,
Govt. of NCT of Delhi
A-Wing, 7th Level, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002